

FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत... सहायक क्लर्क एवं S.D.O. मुकाम बामंड

दीपाराम बनाम पशुराम वर्मा

किस्म मुकदमा वा.स.के. 111,128 RURAL नं. 353/19 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05/12/19	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री <u>पुनाराम</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111,128 RURAL</u></p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। बिप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>11/02/2020</u> को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>सहायक क्लर्क (SDO)</p>	
11/02/2020	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित/विपक्ष/जवाब</p> <p>के नोटिस तामिल डायग्नोसिस तामिल डायग्नोसिस</p> <p>श्रीमान पीठाधीन अधिकारी डिग्नर बापु के</p> <p>जवाब है। जिसल इतना होकर दिनांक</p> <p><u>19/05/2020</u> को पेश हो।</p>	
19/05/2020	<p>पत्रावली</p> <p>सहायक क्लर्क</p> <p>वारी</p> <p>नियम</p> <p><u>07/10/2020</u></p>	
07/10/2020	<p>पत्रावली</p> <p>सहायक क्लर्क</p> <p>वारी</p> <p>नियम</p> <p><u>15/03/2020</u></p>	

15/08/2021

प्राची वकील उपस्थित/विप्राचीगण  
अनुपस्थित/श्रीमान पीठासीन अधिकारी का  
पद रिक्त होने से मिशाल इत्यादि लेकर  
आगामी दिनांक 11/08/2021 को पेश हो।

उत्तर

20/05/2021

11/08/2021

पत्रावली पेश हुई, वकुलाद फरिदन  
उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त  
होने के कारण पत्रावली इत्यादि लेकर दिनांक  
01/12/2021 को पेश हो।

01/12/2021

प्राची वकील उपस्थित/विप्राचीगण  
अनुपस्थित/श्रीमान पीठासीन अधिकारी  
प्रशासन गांवों के संग अधिवान-2021 केम्प में  
जस्त होने से मिशाल इत्यादि लेकर आगामी  
दिनांक 10/01/2022 को पेश हो।

10/01/2022

प्राची वकील उपस्थित/विप्राचीगण  
अनुपस्थित/श्रीमान पीठासीन अधिकारी  
प्रशासन गांवों के संग अधिवान-2021 केम्प में  
जस्त होने से मिशाल इत्यादि लेकर दिनांक  
22/01/2022 को पेश हो।

22/01/2022

प्राची वकील उपस्थित/विप्राचीगण  
अनुपस्थित/श्रीमान पीठासीन अधिकारी  
प्रशासन गांवों के संग अधिवान-2021 केम्प में  
जस्त होने से मिशाल इत्यादि लेकर दिनांक  
23/05/2022 को पेश हो।

23/05/2022

प्राची वकील उपस्थित/विप्राचीगणों के  
नोटिस तामिल शुद्ध प्राप्त जिसे शामिल  
पत्रावली किताब मात्र। श्रीमान पीठासीन  
अधिकारी डिग्नर कार्या में जस्त हो। मिशाल  
इत्यादि लेकर दिनांक 30/05/2022 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर (SDO),

बायत

जिला - गडमेर

खि हुकम

हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

20/05/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित/विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील हुआ प्राप्त जिस शामिल पत्रावली (वेकल गम) विप्रार्थीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित/आपलम समग्र तीन बार डावाज लगाई गई, अन्तिम डावाज 5.45 PM पर लगाई गई विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई इतिवृत्त उपस्थित नहीं हुआ। लिहाजा विप्रार्थीगणों के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही इमल में लाई जाती है। अतः वास्तुवत्स पत्रावली दिनांक 23/06/2022 को पेश हो

कलेक्टर (SDO)  
बायतु  
जिला - बाउमेर

23/06/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आधियों की वजह से बिखर गए हैं जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर (SDO)  
बायतु  
जिला:- बाउमेर

राजस्थान-सरकार

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक : वाद / 2022 / 1074

दिनांक : 23/06/2022

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. दीपाराम पुत्र मुकनाराम,  
जाति जाट, निवासी रतेऊ,  
पटवार मण्डल रतेऊ,  
तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

1. प्रभुराम पुत्र राऊराम वगैरा 21,  
जाति जाट, निवासी रतेऊ,  
पटवार मण्डल रतेऊ,  
तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

### प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या - 353/2019

#### आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा - रतेऊ, पटवार मण्डल - रतेऊ, तहसील - गिड़ा, जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नं. 29, 34 रकबा क्रमशः 12.12, 13.12 बीघा भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाना है।

सहायक कलेक्टर (SDO)  
(जगदीश सिंह आशिया)  
उपखण्ड अधिकारी बायतु  
दिनांक : 23/06/2022

क्रमांक : वाद / 2022 / 1075 - 79

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी हल्का रतेऊ को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री दीपाराम पुत्र मुकनाराम,
4. विप्रार्थी श्री प्रभुराम पुत्र राऊराम वगैरा 21,
5. पुलिस थानाधिकारी गिड़ा।

सहायक कलेक्टर (SDO)  
उपखण्ड अधिकारी बायतु  
जिला - बाड़मेर